कार्यालय महानिदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :—प्रशि0 / प्रको0 / ए0एन0एम0 / प्रशिक्षण—2023 / 1315 — लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2023

—: विज्ञापन :—

वर्ष—2023 मे सहायक नर्सेज एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) के 02 वर्षीय प्रशिक्षण के लिये प्रदेश के 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रो हेतु 1800 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट :— https://www.dgmhup.gov.in पोर्टल पर दिनांक 01.07.2023 से 31.07.2023 तक आमन्त्रित किये जाते है :—

शैक्षिक अर्हतायें :—	● माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। ● इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में, अनारक्षित श्रेणी / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिये पात्र नही होंगी। ● आशा / संगिनी अभ्यर्थी जो उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हो, को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत, संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
आवेदन शुल्क :—	● सामान्य वर्ग के लिये रु0—200 / — तथा अनुसूचित जाति / जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रु0—100 / — निर्धारित है। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान आनलाइन किया जायेगा।
आरक्षण :—	1. प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80 प्रतिशत ऐसी महिला अभ्यर्थियो से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हों। 2. प्रशिक्षण के कुल क्षमता का 20 प्रतिशत ऐसे इच्छुक आशा कार्यकत्री / आशा संगनियाँ जिन्होने कम से कम 05 वर्ष आशा कार्यकत्री / आशा संगनियों के रुप में विभाग / एन0एच0एम0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रुप से संतोषजनक कार्य किया हो, हेतु आरक्षित होगा। लेकिन, यदि 20 प्रतिशत के अंतर्गत पात्र आशा कार्यकत्री / संगनी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है, तो रिक्त सीट पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एव अन्य के लिये आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश में निहित प्राविधानों / शर्तो के अधीन अनुमन्य होगी। 3. उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
आयु सीमा :—	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु विगत वर्ष 31 दिसम्बर, 2022 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग में शासनादेशानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
चयन :—	अभ्यर्थी के हाईस्कूल एव इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) मे प्राप्त अंको के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची (मैरिट) पर उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश—2022, दिनांक 28.04.2022 के आधार पर किया जायेगा।

ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संबंधी समस्त अनुदेश एव निर्देशों के साथ विस्तृत जानकारियां विभागीय वेबसाइट :— https://www.dgmhup.gov.in पर उपलब्ध होगा।

(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

www.upgov.nic.in
Upid- 191259 Dt.16.06.2023